

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता
झाँसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झाँसी**

पत्रांक :-
सेवा में,

7534/34 याता०-झाँ०क्षे०/17

दिनांक :- 14/09/17
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नि० ख०-3 लो०नि०वि०, झाँसी
झायरी सं० 4973
फाईल सं० 151
दिनांक 20-9-17

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०,
झाँसी।

विषय :-

गुरसराय-गरौठा (राज्य मार्ग-42) के किमी० 128 (चैनेज 127.270) में ओवर हैड 765 के०वी० जबलपुर-उरई ट्रान्समिशन लाईन हेतु एंव पूँछ गुरसराय (प्रमुख जिला मार्ग-31) के किमी० 9 (चैनेज 8.420) ओवर हैड लीलों ऑफ 765 के०वी० सतना-ग्वालियर ट्रान्समिशन लाईन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सबंध में।

संदर्भ :-

अधीक्षण अभियन्ता, झाँसी वृत्त, लो०नि०वि०, झाँसी का पत्रांक 10351/85 सी (झाँसी)-झाँ०वृ०/17 दि० 05.09.17 व पत्रांक 10352/85 सी (झाँसी)-झाँ०वृ०/17 दिनांक 05.09.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रश्नगत प्रकरण में गुरसराय गरौठा (राज्य मार्ग-42) के किमी० 128 (चैनेज 127.270) में ओवर हैड 765 के०वी० जबलपुर-उरई व पूँछ-गुरसराय (प्रमुख जिला मार्ग-31) के किमी० 9 (चैनेज 8.420) ओवर हैड लीलों ऑफ 765 के०वी० सतना ग्वालियर ट्रान्समिशन लाईन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की है।

अतः उक्त दोनों ट्रान्समिशन लाईन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, झाँसी वृत्त, लो०नि०वि०, झाँसी की संस्तुति के आधार पर निम्न प्रतिबंधों के साथ एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण इस प्रकार कराया जाये कि मार्ग के ऊपर क्लीयरिंस कम से कम 15 मीटर हो।
2. लाईन के पिलर, मार्ग के मध्य से न्यूनतम 36.50 मी० (120 फीट) दूरी पर लगाये जाये।
3. निर्माण कार्य के दौरान यातायात को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4. उपरोक्त कार्य से मार्ग पर कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।
5. वन विभाग/स्थानीय निकाय प्रशासन के कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है, तो उनसे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना वांछित होगा।
6. लो०नि०वि०, की भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, झाँसी वृत्त, लो०नि०वि०, झाँसी को संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

(वी०के० गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता,
झाँसी क्षेत्र, लो०नि०वि०, झाँसी

मुख्य अभियन्ता,
झाँसी क्षेत्र, लो०नि०वि०, झाँसी